सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें

SBI card

सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें - एसबीआई कॉर्पोरेट कार्ड (सिर्फ़ व्यक्तिगत दायित्व वाले ग्राहकों पर लागू)

1. **शुल्क और चार्जेस**

A. **ज्वाइनिंग शुल्क, वार्षिक शुल्क और नवीनीकरण शुल्क** (यदि लागू हो)
एसबीआई कॉर्पोरेट कार्ड (एसबीआई कार्ड) पर ज्वाइनिंग शुल्क, वार्षिक शुल्क और नवीनीकरण शुल्क लागू हैं. ये शुल्क कॉर्पोरेट के लिए अलग हो सकते हैं और अलग-अलग कार्डधारक और ऑफ़र के लिए भी अलग हो सकते हैं. कॉर्पोरेट कार्ड का आवेदन करते समय इसकी जानकारी कार्पोरेट और कार्डधारक को दी जाएगी. लागू ज्वाइनिंग और वार्षिक शुल्क सीधे कार्डधारक के खाते से चार्ज किया जाएगा और इसे उस माह के कार्ड विवरण में दिखाया जाएगा, जिसमें उसे चार्ज किया गया है.

क्रेडिट कार्ड का नाम	**वार्षिक शुल्क (रु.)**	**नवीकरण शुल्क (रु.)**
एसबीआई कॉरपोरेट कार्ड	शून्य	शून्य

B. **कैश एडवांस शुल्क** (यदि लागू हो)
कार्डधारक, कार्ड का उपयोग इमरजेंसी होने पर भारत के एटीएम/कैशपॉइंट या विदेशों में एटीएम से कैश निकालने के लिए कर सकता है. ऐसे सभी चार्जेस पर लेन-देन शुल्क लगाया जाएगा और उसे अगले विवरण में कार्डधारक के बिल में शामिल किया जाएगा. घरेलू एसबीआई एटीएम/कैशपॉइंट पर 2.5% या 500 रुपए तक जो भी अधिक हो, और दूसरे घरेलू एटीएम पर 500 रुपए या 2.5% तक जो भी अधिक हो, और

अंतर्राष्ट्रीय एटीएम पर 3% या 500 रुपए तक जो भी अधिक हों, लेन-देन शुल्क लगाया जाएगा. एसबीआई कार्ड्स एंड भुगतान सर्विसेस लिमिटेड, के निर्णय के आधार पर लेन-देन शुल्क को बदला जा सकता है. सभी कैश एडवांस में निकासी की तारीख से लेकर सेटलमेंट (निपटान) की तारीख तक सर्विस चार्ज भी शामिल होगा. वर्तमान में सर्विस चार्ज 3.35% प्रति माह [40.2% प्रति वर्ष] तक है और यह एसबीआईसीपीएसएल के निर्णय के अधीन है.

C. कैश भुगतान शुल्क

कार्डधारक एसबीआई कार्ड की देय राशि का भुगतान, एसबीआई की किसी भी शाखा में जाकर, जमा पर्ची में कॉर्पोरेट कार्ड नंबर और राशि लिखकर और शाखा के काउंटर में उसे जमा कर सकते हैं. आपके बिल के भुगतान के बाद इंस्टेंट भुगतान स्वीकृति रसीद प्रदान की जाएगी. यह सर्विस 100 रुपए + लागू करों की दर पर उपलब्ध है.

D. चार्जेस

i. समय-समय पर लागू चार्जेस और शुल्क का भुगतान, एसबीआईसीपीएसएल द्वारा कार्डधारक को दी गई विशिष्ट सेवाओं के लिए या कार्डधारक के कार्ड खाते के संदर्भ में उनके द्वारा की गई चूक के लिए कार्डधारक को करना होगा.

ii. कार्डधारक को सूचना देकर समय-समय पर ऐसे किसी भी चार्जेस या शुल्क में परिवर्तन करने या ऐसे नए चार्जेस या शुल्क लगाने का अधिकार एसबीआईसीपीएसएल के पास सुरक्षित है, जो उसे उपयुक्त लगते हैं.

E. ब्याज मुक्त ग्रेस/अनुग्रह अवधि

ब्याज मुक्त क्रेडिट अवधि 20 से 50 दिनों की हो सकती है, जो मर्चेंट द्वारा

क्लेम के सबमिशन के अधीन है. हालांकि, यह तब लागू नहीं होती, जबकि पिछले माह का बैलेंस पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ हो या अगर कार्डधारक ने किसी एटीएम/कैश पॉइंट से कैश प्राप्त किए हों.

F. फाइनेंस चार्जेस (सर्विस चार्जेस)

अगर कार्डधारक अपने बैलेंस का पूरा भुगतान नहीं करने का विकल्प चुनता है, तो लेन-देन की तारीख से सभी लेन-देन पर और कार्डधारक द्वारा लिए गए सभी कैश एडवांस (नकद अग्रिम राशि) पर उनके भुगतान होने की तारीख तक मासिक प्रतिशत दर से फाइनेंस चार्जेस लगाए जाते हैं.

अगर कॉर्पोरेट या कार्डधारक, अंतिम देय तारीख [भुगतान जमा करने की अंतिम तारीख] (PDD) से पहले कुल बकाया राशि (TAD) के कुछ हिस्से का भुगतान करता है या कोई भी भुगतान नहीं करता है; यानी पिछले महीने से ग्राहक का बैलेंस बकाया है और वर्तमान महीने में कुल बकाया राशि का भुगतान अंतिम देय तारीख से पहले हो जाता है तो फाइनेंस चार्जेस, भुगतान की तारीख तक क्लोज़िंग बैलेंस (शेष राशि) पर लगाए जाएंगे.

कार्ड ब्याज दर, परिवर्तनशील हैं और ये कार्डधारक के उपयोग एवं भुगतान के पैटर्न पर आधारित होंगे और इनमें समय-समय पर बदलाव होता रहेगा. फाइनेंस चार्जेस की दर लेन-देन की तारीख से अधिकतम 3.35% प्रति माह [40.2% प्रति वर्ष] तक बढ़ सकती है और एसबीआईसीपीएसएल के निर्णय पर इसमें बदलाव किया जा सकता है. फाइनेंस चार्जेस, देय होने पर, लागू करों के अधीन हैं और कार्डधारक के खाते से डेबिट किए जाते हैं जब तक कि कार्ड पर बकाया राशि का पूरा भुगतान नहीं किया जाता है. कार्डधारक द्वारा अंतिम देय तारीख [भुगतान जमा करने की अंतिम तारीख] तक अपनी शेष राशि (बैलेंस) का पूरा भुगतान नहीं करने की स्थिति में सभी ट्रांजेक्शन पर लगाये गये फाइनेंस चार्जेस की न्यूनतम राशि, और कार्डधारक द्वारा लिए गए सभी कैश एडवांस पर फाइनेंस चार्जेस की राशि,

हर एक लेन-देन के लिए लागू करों को छोड़ कर 25 रुपए होगी.

a. कैश एडवांस पर फाइनेंस चार्जेस (यदि लागू हो), लेन-देन की तारीख से लेकर पूरा भुगतान होने तक लागू होते हैं.

उदाहरण 1: कार्ड विवरण की तारीख – हर माह की 2 तारीख 3 मार्च 17 से 2 अप्रैल 17 के बीच किए गए लेन-देन इस प्रकार हैं:

1. 5000 रुपए की खुदरा खरीदारी - 10 मार्च 17 को
2. 7000 रुपए की नकद (कैश) निकासी (यदि लागू हो) - 30 मार्च 17 को

यह मानते हुए कि 2 मार्च 17 के विवरण से कोई भी पिछला बैलेंस आगे नहीं ले जाया गया है, कार्डधारक को उनके 12,000 रुपए के ट्रांजेक्शन के साथ 7,000 रुपए की नकद (कैश) निकासी पर लागू दर से 3 दिन के फाइनेंस चार्जेस दिखाते हुए 2 अप्रैल 17 का विवरण प्राप्त होगा. कार्डधारक को बकाया राशि का भुगतान 22 अप्रैल 17 तक, यानी विवरण की तारीख से 20 दिनों में करना होगा. कृपया ध्यान दें कि कार्डधारक के एसबीआई कॉर्पोरेट कार्ड खाते के लिए सभी भुगतान (कुल बकाया राशि) पूर्ण रूप से अंतिम देय तारीख [भुगतान जमा करने की अंतिम तारीख] तक निपटाए/सेटल जाने चाहिए. भुगतान पहले करों के लिए, फिर शुल्कों और अन्य चार्जेस के लिए, ब्याज संबंधी चार्जेस के लिए, खुदरा बकाया राशि के लिए और अंत में कैश बैलेंस (अगर कोई है) के लिए किया जाएगा.

(a) यदि पिछले विवरण से कोई पिछला बैलेंस आगे लाया जा रहा है तो पिछले विवरण की तारीख से फाइनेंस चार्जेस लगाए जाएंगे (ब्याज-रहित लिए गए बकाया खुदरा बैलेंस को छोड़कर जहां फाइनेंस चार्जेस, लेन-देन की तारीख से लगाए गए हैं).

(b) यदि विवरण के बकाया बैलेंस में कोई कैश बैलेंस नहीं है और वह पिछले विवरण से आगे नहीं लाया गया है और विवरण की तारीख पर बकाया खुदरा बैलेंस का भुगतान, अंतिम देय तारीख [भुगतान जमा करने की

अंतिम तारीख] तक पूरी तरह कर दिया गया है, तो ऐसे बैलेंस पर फाइनेंस चार्जेस नहीं लगाए जाते हैं.

उदाहरण 2: कार्ड विवरण की तारीख – हर माह की 2 तारीख. 3 जनवरी 17 से 2 फरवरी 17 के बीच किए गए लेन-देन इस प्रकार हैं:

1. 10,000 रुपए की खुदरा खरीदारी - 5 जनवरी 17 को
2. 30,000 रुपए की ऑनलाइन खरीदारी - 15 जनवरी 17 को

यह मानते हुए कि 2 जनवरी 17 के विवरण से कोई पिछला बैलेंस आगे नहीं लाया गया है, कार्डधारक को 2 फरवरी 17 का विवरण मिलेगा जिसमें 40,000 रुपए के ट्रांजेक्शन दर्शाए गए होंगे कार्डधारक को 22 फरवरी 17 तक यानी विवरण की तारीख से 20 दिन में बकाया राशि का भुगतान करना होगा. कृपया ध्यान दें कि कार्डधारक के एसबीआई कॉर्पोरेट कार्ड खाते के लिए सभी भुगतान (कुल बकाया राशि) पूर्ण रूप से अंतिम देय तारीख [भुगतान जमा करने की अंतिम तारीख] तक निपटाए/सेटल जाने चाहिए. भुगतान पहले करों के लिए, फिर शुल्कों और अन्य चार्जेस के लिए, ब्याज संबंधी चार्जेस के लिए, खुदरा बकाया राशि के लिए और अंत में कैश बैलेंस (अगर कोई है) के लिए किया जाएगा. यदि पिछले विवरण से कोई पिछला बैलेंस आगे लाया जाता है तो पिछले विवरण की तारीख से फाइनेंस चार्जेस लिए जाएंगे (ब्याज-रहित लिए गए बकाया खुदरा बैलेंस को छोड़कर, जहां फाइनेंस चार्जेस, लेन-देन की तारीख से लगाए जाते हैं).

हर माह केवल न्यूनतम भुगतान करने से वर्ष-दर-वर्ष पुनर्भुगतान का दबाव बढ़ेगा जिससे बकाया बैलेंस का भुगतान आने वाले वर्षों में ब्याज के साथ करना होगा.

उदाहरण 3: कार्ड विवरण की तारीख – हर माह की 2 तारीख. 3 दिसंबर 16 से 2 जनवरी 17 के बीच किए गए लेन-देन इस प्रकार हैं:

1. 500 रुपए की खुदरा खरीदारी - 15 दिसंबर 16 को
2. 600 रुपए की ऑनलाइन खरीदारी - 20 दिसंबर 16 को
यह मानते हुए कि 2 दिसंबर 16 के विवरण से कोई पिछला बैलेंस आगे नहीं लाया गया है, कार्डधारक को 2 जनवरी 17 की विवरण मिलेगी जिसमें 1100 रुपए के ट्रांजेक्शन दर्शाए गए होंगे और कुल बकाया राशि 1100 रुपए होगी. कार्डधारक को 22 जनवरी 17 तक यानी कि विवरण की तारीख से 20 दिन में बकाया राशि का भुगतान करना होगा.
यह मानते हुए कि 22 जनवरी 17 को कार्डधारक 500 रुपए का कुछ भुगतान करता है, तो फाइनेंस चार्जेस, लागू दर पर लगाए जाएंगे और उन्हें कुल बकाया बैलेंस में जोड़ा जाएगा. प्रतिमाह के लिए लागू दर, 3.35% मान कर फाइनेंस चार्जेस की गणना इस प्रकार की जाएगी:
39 दिनों (15 दिसंबर से 22 जनवरी) के लिए 500 रुपए के बैलेंस पर: (3.35*12)*(39/365)*500/100 = 21.48 रुपए
34 दिनों (20 दिसंबर से 22 जनवरी) के लिए 600 रुपए के बैलेंस पर: (3.35*12)*(34/365)*600/100 = 22.47 रुपए
10 दिनों (22 जनवरी से 2 फरवरी) के लिए 600 रुपए के बैलेंस पर: (3.35*12)*(10/365)*600/100 = 6.61 रुपए
कुल लगाया गया ब्याज = रुपए 50.56
3 फरवरी 17 से 2 मार्च 17 के बीच किए गए ट्रांजेक्शन
1. 650.56 रुपए का प्रारंभिक बैलेंस - 3 फरवरी 17 को
2. 1000 रुपए की खुदरा खरीदारी - 5 फरवरी 17 को
3. 3000 रुपए की ऑनलाइन खरीदारी - 15 फरवरी 17 को
यह मानते हुए कि 650.46 रुपए का पिछला बैलेंस 2 फरवरी 17 के विवरण से आगे लाया गया है, कार्डधारक को 22 फरवरी 17 तक यानी कि विवरण की तारीख से 20 दिन में, बकाया बैलेंस का भुगतान करना होगा.
यह मानते हुए कि कार्डधारक, 15 फरवरी तक यानी अंतिम देय तारीख

[भुगतान जमा करने की अंतिम तारीख] तक पूरा भुगतान कर देता है. प्रतिमाह के लिए लागू दर, 3.35% मान कर फाइनेंस चार्जेस की गणना इस प्रकार की जाएगी:

12 दिनों (3 फरवरी - 15 फरवरी) के लिए 650.56 रुपए के बैलेंस पर:

(3.35*12)*(12/365)*650.56/100 = 8.60 रुपए

कुल लगाया गया ब्याज = रुपए 8.60

बकाया खरीदारी की राशि, ब्याज के चार्जेस, शुल्क और चार्जेस, अगर कोई हो तथा सभी लागू करों की कुल राशि 2 मार्च के विवरण में कुल बकाया राशि के रूप में दर्शाया जाएगा.

G. विलंबित भुगतान शुल्क

यदि अंतिम देय तारीख [भुगतान जमा करने की अंतिम तारीख] तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो देरी से भुगतान के चार्जेस लागू होंगे. • 0 रुपए से 200 रुपए तक की बकाया राशि के लिए कोई शुल्क नहीं; • 200 रुपए से अधिक और 500 रुपए तक की बकाया राशि के लिए 100 रुपए;

• 500 रुपए से अधिक और 1000 रुपए तक की बकाया राशि के लिए 400 रुपए;

• 1000 रुपए से अधिक और 10,000 रुपए तक की बकाया राशि के लिए 500 रुपए;

• 10,000 रुपए से अधिक की बकाया राशि के लिए 750 रुपए

उदाहरण 1: कार्ड विवरण की तारीख – हर माह की 2 तारीख. 3 फरवरी 17 से 2 मार्च 17 के बीच किए गए लेन-देन इस प्रकार हैं:

1. 2000 रुपए की खुदरा खरीदारी - 8 फरवरी 17 को
2. 2500 रुपए की ऑनलाइन खरीदारी - 19 फरवरी 17 को

यह मानते हुए कि 2 फरवरी 17 के विवरण से कोई भी पिछला बैलेंस आगे नहीं ले जाया गया है, कार्डधारक को 4500 रुपए के लेन-देन दिखाते हुए 2 मार्च का विवरण प्राप्त होगा. कार्डधारक को 22 मार्च 17 तक यानी विवरण की तारीख से 20 दिन में बकाया राशि का भुगतान करना होगा. यदि कार्डधारक अंतिम देय तारीख (भुगतान जमा करने की अंतिम तारीख) तक पूरा भुगतान (यानी कुल बकाया राशि) नहीं करता है तो उस पर 500 रुपए (1001 रुपए से 10,000 रुपए तक की कुल बकाया राशि के लिए 500 रुपए) का देरी से भुगतान के चार्जेस लगाए जाएंगे.

उदाहरण 2: कार्ड विवरण की तारीख – हर माह की 2 तारीख. 3 फरवरी से 2 मार्च के बीच किए गए लेन-देन इस प्रकार हैं:

1. 8 फरवरी को 2000 रुपए की खुदरा खरीदारी;
2. 19 फरवरी को 2500 रुपए की ऑनलाइन खरीदारी.

यह मानते हुए कि 2 फरवरी के विवरण से कोई पिछला बैलेंस आगे नहीं लाया गया है, कार्डधारक को अपने 2 मार्च के विवरण में 4,500 रुपए की बकाया राशि दिखाई देगी. कार्डधारक को बकाया राशि का भुगतान 22 मार्च तक, यानी विवरण की तिथि से 20 दिन में बकाया राशि का भुगतान करना होगा.

यदि कार्डधारक भुगतान की देय तिथि पर या उससे पहले 4000 रुपए का आंशिक भुगतान करता है, जिसके आधार पर बकाया राशि 500 रुपए होगी, तो उससे 100 रुपए (200 रुपए - 500 रुपए के स्लैब के लिए 100 रुपए) का विलंबित भुगतान शुल्क लिया जाएगा.

उदाहरण 3: कार्ड विवरण की तारीख – हर माह की 2 तारीख. 3 फरवरी से 2 मार्च के बीच किए गए लेन-देन इस प्रकार हैं:

1. 8 फरवरी को 2000 रुपए की खुदरा खरीदारी;

2. 19 फरवरी को 2500 रुपए की ऑनलाइन खरीदारी.

यह मानते हुए कि 2 फरवरी के विवरण से कोई पिछला बैलेंस आगे नहीं लाया गया है, कार्डधारक को अपने 2 मार्च के विवरण में 4,500 रुपए की बकाया राशि दिखाई देगी. कार्डधारक को बकाया राशि का भुगतान 22 मार्च तक, यानी विवरण की तिथि से 20 दिनों के अंदर, करना होगा। कार्डधारक 22 मार्च को या उससे पहले 4500 रुपए की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान करता है.

3 मार्च से 2 अप्रैल के बीच किए गए लेन-देन (1) 3 मार्च को 5000 रुपए की खुदरा खरीदारी (2) 15 मार्च को 5000 रुपए की ऑनलाइन खरीदारी.

कार्डधारक को 2 अप्रैल के विवरण में 10,000 रुपए कुल देय राशि के रूप में दिखाई देंगे. ग्राहक को पिछले चक्र में किए गए लेन-देन के लिए मर्चेंट से 10 अप्रैल को 4500 रुपए का रिफंड मिलता है. इस रिफंड राशि को कुल देय राशि से समायोजित किया जाएगा, जिसके आधार पर बकाया राशि 5500 रुपए होगी.

यदि कार्डधारक द्वारा भुगतान की देय तिथि तक कोई और भुगतान नहीं किया जाता है, तो उससे 500 रुपए (1000 रुपए - 10,000 रुपए के स्लैब के लिए 500 रुपए) का विलंबित भुगतान शुल्क लिया जाएगा.10000 रुपए होगी.

H. **ओवर लिमिट चार्जेस -** कॉर्पोरेट कार्ड्स के लिए लागू नहीं

I. **भुगतान डिसऑनर/अनादरण शुल्क**

भुगतान का अनादरण होने की स्थिति में कॉर्पोरेट कार्डधारक को भुगतान राशि का 2% भुगतान अनादरण शुल्क लगाया जाएगा जो न्यूनतम 350 रुपए की शर्त के अधीन होगा.

J. अन्य चार्जेस (यदि लागू हो):

- . कार्ड बदलने का शुल्क: 100 रुपए – 250 रुपए
- . दोबारा विवरण लेने के लिए शुल्क: कोई नहीं
- . फॉरेन करेंसी लेन-देन शुल्क: 3.5% तक फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन को भारतीय रुपए में कनवर्ट करने के लिए प्रयुक्त विनिमय दर का निर्धारण मामले के अनुसार वीज़ा/मास्टरकार्ड द्वारा, ट्रांजेक्शन के दिन उनके द्वारा एसबीआई कार्ड के साथ निपटान किए गए ट्रांजेक्शन की निर्धारित विनिमय दर के आधार पर किया जाएगा, जो हो सकता है कि ट्रांजेक्शन किए जाने की तारीख नहीं हो. फॉरेन करेंसी लेन-देन शुल्क, वीज़ा/मास्टर कार्ड द्वारा दी की गई रुपए में परिवर्तित राशि पर लागू की जाएगी.

2. लिमिट

क्रेडिट लिमिट और कैश लिमिट (यदि लागू हो) कॉर्पोरेट कार्ड प्रोग्राम मैनेजर से प्राप्त निर्देशों के आधार पर कार्डधारक के लिए तय की जाती है. ये लिमिट, कार्डधारक को कार्ड डिलीवरी के समय बताई जाती हैं. क्रेडिट लिमिट और कैश लिमिट (यदि लागू हो) प्रत्येक विवरण में कार्डधारक को बताई जाती है. विवरण जनरेट करते समय उपलब्ध क्रेडिट लिमिट (यानी उपयोग के लिए उपलब्ध क्रेडिट लिमिट) विवरण के भाग के रूप में दी जाती है.

एसबीआईसीपीएसएल कॉर्पोरेट स्तर लिमिट की समय समय पर समीक्षा करेगा और वह आंतरिक मानदंडों के आधार पर या कार्पोरेट कार्ड प्रोग्राम मैनेजर से प्राप्त अनुरोध के आधार पर इसे बढ़ा या घटा सकता है. ऐसे किसी भी परिवर्तन से कार्डधारक की लिमिट भी प्रभावित हो सकती है और इसकी सूचना कॉर्पोरेट कार्ड प्रोग्राम मैनेजर को दी जाएगी जो इस सूचना के संबंधित कार्डधारक को दे सकते हैं. ऐसे कार्डधारक, जो अपनी क्रेडिट लिमिट बढ़ाना चाहते हैं, वे एसबीआईसीपीएसएल को इसके लिए लिखित अनुरोध करके और ऐसे वित्तीय दस्तावेज़ जिनमें उनकी आय दिखाई गई हो, उन्हें प्रदान करके अपनी लिमिट बढ़वा सकते हैं. हालांकि, एसबीआईसीपीएसएल पूरी तरह अपने फैसले के आधार पर और प्राप्त अनुरोध तथा कॉर्पोरेट कार्ड प्रोग्राम मैनेजर के अनुमोदन पर, कार्डधारक की क्रेडिट लिमिट को बढ़ा सकता है.

3. बिलिंग और विवरण

a) एसबीआईसीपीएसएल कार्डधारक को मासिक विवरण भेजा जाएगा, जिसमें पिछले विवरण के बाद से कार्डधारक के खाते में क्रेडिट हुए भुगतान और उसमें से डेबिट हुए लेन-देन दिखाए जाएंगे, बशर्ते कार्ड,

कथित अवधि के लिए सक्रिय रहा हो. एसबीआईसीपीएसएल, पहले से तय तारीख पर रिकॉर्ड में मौजूद ईमेल आईडी पर ईमेल के माध्यम से विवरण भेजा जाएगा.

b) एसबीआई कॉर्पोरेट कार्ड, कार्डधारक को रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा ऑफ़र नहीं करता है. जुर्माने से बचने के लिए विवरण की कुल बकाया राशि का पूरा भुगतान करना चाहिए.

c) कार्ड पर बकाया राशि के भुगतान की स्वीकृति, बाद में मिलने वाले विवरण में दी जाती है. इनपुट टैक्स क्रेडिट या करों से संबंधित किसी भी अन्य मामले से संबंधित किसी भी विवाद की जानकारी कॉर्पोरेट कार्ड जारीकर्ता को विवरण जारी करने के 30 दिनों के अंदर दी जाएगी.

d) कार्डधारक के कार्ड पर बकाया राशि के संबंध में प्राप्त भुगतान को कर, शुल्क और अन्य चार्जेस, ब्याज के चार्जेस, खरीदारी और कैश एडवांस की राशि के लिए एडजस्ट किया जाता है. सही और समय पर जानकारी देने की ज़िम्मेदारी कार्डधारक की होगी, ताकि कॉर्पोरेट कार्ड जारीकर्ता उपयुक्त (जीएसटी) अनुपालन करवा सके जिसके परिणामस्वरूप कार्डधारक, कॉर्पोरेट कार्ड जारीकर्ता द्वारा की गई आपूर्ति का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकेगा. कार्डधारक द्वारा दी गई गलत जानकारी के कारण या कार्डधारक द्वारा किए गए किसी गलती या चूक के कारण, कार्डधारक को इनपुट टैक्स क्रेडिट में हुए नुकसान या इनपुट टैक्स क्रेडिट पाने में हुई देरी के लिए कार्ड जारीकर्ता ज़िम्मेदार नहीं होगा.

e) कार्ड खाते के लिए भुगतान, नीचे दिए गए किसी भी तरीके से किया जा सकता है:

- www.sbicard.com में लॉग-ऑन करके और नेटबैंकिंग या अपने एसबीआई एटीएम-कम-डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करने के लिए पेनेट विकल्प का उपयोग करके.

- विवरण के पीछे दिए गए डाक पते पर चेक या ड्रॉफ़्ट भेजकर.
- आपके शहर में या स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया की बताई गई शाखाओं में रखे गए किसी भी एसबीआई कार्ड ड्रॉप बॉक्स में चेक या ड्रॉफ़्ट डाल कर. - चेक/ड्रॉफ़्ट को “एसबीआई कार्ड नंबर xxxxxxxxxxxxxxxx” के लिए देय बनाया जाना चाहिए.
- एनएसीएच: चुनिंदा शहरों में नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है.
- एनईएफटी:

  लाभार्थी का नाम: एसबीआई कार्ड्स एंड भुगतान सर्विसेज़ लिमिटेड.

  बैंक का पता: स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, कमर्शियल ब्रांच (04079), 6ठी मंजिल, पालम कोर्ट, महाराणा प्रताप चौक, एम.डी.आई के पास, गुरुग्राम - 122001

  बैंक खाता नंबर: – 39735563903

  आईएफएससी कोड: - ‘SBIN0004079’

f) एसबीआई कार्ड में बकाया बिल का भुगतान करने के कई तरीके हैं जिसका विवरण, मासिक विवरण के पीछे और एसबीआई कार्ड की वेबसाइट पर दिया गया है. कार्डधारक से प्राप्त किसी भी एडवांस राशि को भविष्य में किए जाने वाले खर्च के लिए एडवांस राशि माना जाएगा और किसी चार्ज/शुल्क के लिए प्राप्त राशि नहीं माना जाएगा.

g) बिलिंग संबंधी विवाद: अगर कार्डधारक, एसबीआईसीपीएसएल को किसी असंगति (विवरण का मेल न होना) की सूचना, विवरण की तारीख के 30 दिनों के अंदर नहीं देता है और जब तक ये असंगतियां एसबीआईसीपीएसएल द्वारा सही नहीं पाई जाती, तब तक विवरण की संपूर्ण विषयवस्तु सही और कार्डधारक को स्वीकार्य मानी जाएगी.

ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, एसबीआईसीपीएसएल चार्ज को अस्थायी तौर पर रिवर्स कर सकता है. यदि बाद की जांच-पड़ताल पूरी होने पर, ऐसे चार्जेस की देयता कार्डधारक के खाते पर होती है तो उक्त चार्ज बाद में मिलने वाली विवरण में लिया जाएगा.

h) ग्राहक असंतोष निवारण: सभी शिकायतें, प्रमुख - कॉर्पोरेट ग्राहक मैनेजमेंट, डीएलएफ इन्फिनिटी टॉवर्स, टॉवर सी, 12वां फ्लोर, ब्लॉक 2, बिल्डिंग 3, डीएलएफ सायबर सिटी, गुरुग्राम - 122002 (हरियाणा), भारत को भेजी जाएंगी. कॉर्पोरेट कार्ड प्रोग्राम मैनेजर या कार्डधारक समय-समय पर अपनी पूछताछ या शिकायत निवारण के लिए sbicorporate.services@sbicard.com पर ईमेल भेजकर या 24 घंटे उपलब्ध एसबीआई कार्ड हेल्पलाइन - 1860 180 1290, 39 02 02 02 (शुरू में स्थानीय एसटीडी कोड लगाएं) के ज़रिए और कार्ड खाते पर बकाया राशि के सेटलमेंट (निपटान) के लिए डाक, फैक्स, टेलीफ़ोन, ईमेल, एसएमएस मैसेजिंग द्वारा भी एसबीआईसीपीएसएल से संपर्क कर सकते हैं और/या देय राशि के बारे में याद दिलाने, फ़ॉलो-अप करने और वसूली करने के लिए तृतीय पक्षों को नियुक्त कर सकते हैं.

इस प्रकार नियुक्त किए गए सभी तृतीय पक्षों को ऋण वसूली से जुड़ी आचार संहिता का पूरी तरह पालन करना होगा. कार्डधारक के दिवालिया होने या उसकी मृत्यु होने पर कार्ड खाते पर प्रभावी हुए लेकिन अब तक नहीं लगाए गए सभी चार्जेस के साथ कार्ड खाते की कुल बकाया राशि पूरी तरह एसबीआईसीपीएसएल को तुरंत देय और भुगतान करने योग्य हो जाती है और कार्ड खाता तुरंत रद्द कर दिया जाएगा. कार्ड खाते की बकाया राशि का सेटलमेंट, कार्डधारक की संपत्तियों से किया जाएगा और ऐसी बकाया राशियों की वसूली में आने वाले कानूनी शुल्क और खर्चों सहित सभी लागतों के लिए कार्डधारक

द्वारा एसबीआईसीपीएसएल को हानिरहित रखा जाना चाहिए. ऐसे पुर्नभुगतान के बकाया रहने तक एसबीआईसीपीएसएल को अपनी प्रचलित दर पर फाइनेंस चार्जेस लगाते रहने का अधिकार होगा.

i) एसएमए और एनपीए

- **विशेष उल्लेख खाता (‘एसएमए’):**

नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन हेतु, एसबीआई कार्ड को खाते में आरंभिक तनाव (इन्सिपीऐंट स्ट्रेस) को पहचानने के लिए 'विशेष उल्लेख खाता' के नाम से एक उप-आस्ति श्रेणी बनानी होगी. जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है, इस श्रेणी में तीन उप श्रेणियां होंगी. क्रेडिट कार्ड्स को "परिक्रामी सुविधाओं के अलावा अन्य ऋण" की श्रेणी में रखा जाता है.

एसएमए की उप-श्रेणियां	वर्गीकरण का आधार [मूलधन या ब्याज का भुगतान या कोई अन्य राशि जो पूर्ण या आंशिक रूप से देय हो]
एसएमए – 0	भुगतान देय तिथि (‘PDD’) से 30 दिन तक
एसएमए – 1	PDD से 30 दिन से अधिक और 60 दिन तक
एसएमए – 2	PDD से 60 दिन से अधिक और 90 दिन तक

एसएमए के वर्गीकरण से संबंधित उदाहरण:

यदि किसी कॉरपोरेट कार्ड खाते की भुगतान देय तिथि (‘पीडीडी’) 31 मार्च 2021 है, और कुल देय राशि (‘टीएडी’) इस तिथि से पहले प्राप्त नहीं होती है, तो देय तिथि के बाद खाता एसएमए – 0 के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

यदि खाता PDD से 30 दिन के बाद अर्थात 30 अप्रैल के बाद भी अतिदेय (ओवरड्यू) रहता है, तो इस खाते को एसएमए – 1 के रूप में अंकित किया जाएगा.

इसी प्रकार, यदि खाता PDD से 60 दिन के बाद भी अर्थात 30 मई 2021 के बाद भी अतिदेय बना रहता है, तो इस खाते को एसएमए – 2 के रूप में टैग किया जाएगा.

- **अनर्जक आस्ति ('एनपीए'):**

  यदि विवरण में वर्णित न्यूनतम देय राशि का PDD से नब्बे (90) दिन के भीतर पूर्ण भुगतान नहीं किया जाता है, तो क्रेडिट कार्ड खाते को अनर्जक आस्ति ('एनपीए') माना जाएगा. इसके अलावा, ऐसे किसी भी खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जिसमें निपटान या पुनर्गठन व्यवस्था का उपयोग किया गया है. जब तक ब्याज और मूलधन की संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता, खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता रहेगा. निपटान और पुनर्गठित खाते को अपग्रेड नहीं किया जा सकता. अंत में, यदि किसी ग्राहक के पास एनपीए के रूप में अंकित किया गया एसबीआई कार्ड का एक भी क्रेडिट कार्ड है, तो ग्राहक के सभी कार्ड एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे.

j) एसबीआई कार्ड द्वारा किसी भी शुल्क या प्रभार के रिवर्सल अथवा कैशबैक को देय राशि से समायोजित नहीं किया जाएगा और इसे वर्तमान बिलिंग चक्र में क्रेडिट हुई राशि के तौर पर लिया जाएगा. भुगतान की देय तिथि से पहले या उस दिन किसी भी लेन-देन के विफल होने या उस पर रिफ़ंड एवं रिवर्सल के कारण कार्ड अकाउंट में क्रेडिट होने वाली राशि को, यदि ऐसे लेन-देन का कार्डधारक द्वारा भुगतान नहीं किया गया है, 'देय भुगतान' से समायोजित किया जाएगा.

k) गलत तरीके से किसी उत्पाद के बेचे जाने और उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के लिए कॉर्पोरेट/कार्डधारक इस ई-मेल आईडी पर हमसे संपर्क कर सकते हैं - salesgrievance@sbicard.com

किसी भी विवाद/ अनाधिकृत लेन-देन की रिपोर्ट करने के लिए कॉर्पोरेट/कार्डधारक इस ई-मेल आईडी पर हमसे संपर्क कर सकते हैं - (corporate.dispute@sbicard.com)

गलत तरीके से किसी उत्पाद के बेचे जाने और उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के लिए कॉर्पोरेट/कार्डधारक इस हेल्पलाइन नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं: 080-39356050

किसी खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकरण से संबंधित उदाहरण:

यदि किसी कॉरपोरेट कार्ड खाते के भुगतान की देय तिथि ('पीडीडी') 31 मार्च 2021 है और ग्राहक द्वारा विवरण में वर्णित कुल देय राशि का भुगतान पीडीडी से 90 दिन के भीतर अर्थात 29 जून 2021 तक नहीं किया गया है, तो ऋणदाता द्वारा क्रेडिट कार्ड खाते को एनपीए माना जाएगा.

ठ) टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) के सामंजस्य और अधिकृत भुगतान प्रणालियों का उपयोग करते हुए असफल लेन-देन के लिए ग्राहक मुआवज़े पर आरबीआई के 20 सितंबर 2019 के परिपत्र के अनुपालन में, यदि एसबीआई कार्ड एक निर्धारित समय सीमा के भीतर असफल लेन-देन के कारण डेबिट की गई राशि को वापस नहीं करता है तो ऐसे मामलों में ग्राहक को, उपरोक्त परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार, असफल लेन-देन पर कार्ड नेटवर्क से प्राप्त ऐसी किसी भी पुष्टि/सूचना के आधार पर मुआवज़े का भुगतान किया जाएगा।

4. डिफ़ॉल्ट

डिफ़ॉल्ट हो जाने की स्थिति में, कार्डधारक को कार्ड खाते में मौजूद बकाया

राशि के सेटलमेंट के लिए डाक, फ़ैक्स, टेलीफ़ोन, ई-मेल एसएमएस मैसेजिंग के द्वारा समय-समय पर रिमाइंडर भेजे जाएंगे और/या बकाया राशि की याद दिलाने, उस पर फ़ॉलो अप करने और बकाया राशि की वसूली करने के लिए तृतीय पक्षों को नियुक्त किया जाएगा. इस प्रकार नियुक्त किए गए सभी तृतीय पक्षों को ऋण वसूली से जुड़ी आचार संहिता का पूरी तरह पालन करना होगा. कार्डधारक के दिवालिया होने या उसकी मृत्यु होने पर कार्ड खाते पर प्रभावी हुए लेकिन अब तक नहीं लगाए गए सभी चार्जेस के साथ कार्ड खाते की कुल बकाया राशि पूरी तरह एसबीआईसीपीएसएल को तुरंत देय और भुगतान करने योग्य हो जाती है और कार्ड खाता तुरंत रद्द कर दिया जाएगा. कार्ड खाते की बकाया राशि का सेटलमेंट, कार्डधारक की संपत्तियों से किया जाएगा और ऐसी बकाया राशियों की वसूली में आने वाले कानूनी शुल्क और खर्चों सहित सभी लागतों के लिए कार्डधारक द्वारा एसबीआईसीपीएसएल को हानिरहित रखा जाना चाहिए. ऐसे पुर्नभुगतान के बकाया रहने तक एसबीआईसीपीएसएल को अपनी प्रचलित दर पर फाइनेंस चार्जेस लगाते रहने का अधिकार होगा. क्रेडिट कार्डधारक की डिफ़ॉल्ट स्टेटस रिपोर्ट किसी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी, जिसने आरबीआई से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया है और जिसका एसबीआईसीपीएसएल सदस्य है, से साझा करने से पहले हम कार्डधारक को इस बारे में सूचित करेंगे. भुगतान की देय तिथि तक न्यूनतम देय राशि का भी भुगतान न होने की स्थिति में, कार्ड अकाउंट की डिफ़ॉल्ट स्टेटस रिपोर्ट क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो/एजेंसियों के साथ साझा कर दी जाएगी.

इसके अलावा यह भी ध्यान रखा जाए कि अगर कार्डधारक डिफ़ॉल्टर घोषित होने के बाद, अपनी बकाया राशि क्लियर कर देता है, तो एसबीआईसीपीएसएल, क्रेडिट सूचना कंपनी से डिफ़ॉल्टर स्थिति को वापस ले लेगी. इस तरह के बदलावों को कार्डधारक की क्रेडिट रिपोर्ट में दिखने में 45-60 दिन का समय लग सकता है. एसबीआईसीपीएसएल, क्रेडिट सूचना

कंपनी को कार्डधारक का डेटा हर महीने तय फार्मेट में सबमिट करती है. क्रेडिट सूचना कंपनी, सबमिट किया गया डेटा अपने सर्वर पर 30 दिनों के अंदर अपलोड करती है.

एसबीआईसीपीएसएल पूरी तरह अपने निर्णय के आधार पर कॉर्पोरेट कार्ड के साथ कुछ बीमा कवर दे सकती है और उसे कॉर्पोरेट/कार्डधारक को पूर्व सूचना दिए बिना इस सुविधा को वापस लेने का पूरा अधिकार होगा. एसबीआईसीपीएसएल अपनी वेबसाइट पर हमेशा ऐसी ऑफ़रिंग के विवरण अपडेट करेगी. अपडेट किए गए विवरण के लिए, कॉर्पोरेट/कार्डधारक www.sbicard.com. देखें. संबंधित बीमा कवर, कॉर्पोरेट कार्डधारक को कॉर्पोरेट कार्ड जारी करने की तारीख से लागू और/या सक्रिय होगा.

5. कार्डधारकशिप की समाप्ति/वापस लेना

a) कॉर्पोरेट कार्ड प्रोग्राम मैनेजर या कार्डधारक, कॉर्पोरेट कार्ड प्रोग्राम मैनेजर की स्वीकृति से एसबीआईसीपीएसएल को किसी भी समय लिखित सूचना देकर या एसबीआई कार्ड हेल्पलाइन पर कॉल करके और कार्ड को तिरछा काट कर इस अनुबंध को समाप्त कर सकते हैं. कार्डधारक द्वारा कार्ड खाते पर बकाया सभी राशियों के भुगतान के बाद अनुबंध समाप्त होगा. ज्वाइनिंग या नवीकरण/वार्षिक शुल्क आनुपातिक आधार पर वापस नहीं किया जाएगा.

b) अगर एसबीआईसीपीएसएल को तर्कसंगत रूप से ऐसा लगता है कि व्यवसाय या सुरक्षा कारणों से कार्डधारक के खाते के उपयोग को प्रतिबंधित, समाप्त या निलंबित करना आवश्यक है और/या किसी भी कानून प्रवर्तन एजेंसी और/या किसी सरकारी प्राधिकारी के अनुरोध पर और/या एसबीआईसीपीएसएल और उनके ग्राहक पर लागू कानूनों/विनियमों के तहत, तो एसबीआईसीपीएसएल, पहले से कोई भी सूचना दिए बिना

कार्डधारक के खाते के उपयोग को कभी भी प्रतिबंधित, समाप्त या निलंबित भी कर सकता है.

c) यदि कार्डधारक, देय राशि का भुगतान करने में चूक करते हैं या दी गई क्रेडिट लिमिट को पार कर लेते हैं तो एसबीआईसीपीएसएल, कॉर्पोरेट कार्ड की सुविधा को रोक सकती है. कार्ड का उपयोग, अनुबंध समाप्त हो जाने या कार्ड खाते का उपयोग निलंबित कर देने के बाद नहीं किया जाना चाहिए. ऐसी स्थिति में, कार्डधारक द्वारा (कानून द्वारा आवश्यक सभी डिफ़ॉल्ट या दूसरी सूचना के तहत) खाते पर बकाया बैलेंस का भुगतान एसबीआईसीपीएसएल को तुरंत किया जाना चाहिए. इसके अंतर्गत, अनुबंध के तहत एसबीआईसीपीएसएल को देय सभी राशियां शामिल होती हैं, जिनमें सभी लेन-देन और दूसरी ऐसी राशियां शामिल हैं, जिन्हें अभी तक खाते पर चार्ज नहीं किया गया है. कार्डधारक खाते को तब तक बंद नहीं माना जाएगा, जब तक कार्डधारक ऐसी सभी बकाया राशियों का भुगतान नहीं कर देता है. कॉर्पोरेट रिलेशनशिप या कार्ड बंद करने के लिए कॉर्पोरेट इस ई-मेल आईडी पर हमसे संपर्क कर सकते हैं.services@sbicard.com

6. कार्ड की हानि/चोरी/दुरुपयोग

a) कॉर्पोरेट कार्ड कहीं गलती से रख दिए जाने, खो जाने, चोरी होने, क्षतिग्रस्त हो जाने, देय होने पर प्राप्त नहीं होने या कार्डधारक को यह संदेह होने पर कि कॉर्पोरेट कार्ड का उपयोग, कार्डधारक की अनुमति के बिना किया जा रहा है, कार्डधारक को एसबीआई कार्ड हेल्पलाइन पर एसबीआईसीपीएसएल से जल्द से जल्द संपर्क करना चाहिए. जब किसी कार्ड के खो जाने की रिपोर्ट की जाती है, तो बाद में वह कार्डधारक को दोबारा मिल जाने पर उसका इस्तेमाल किसी भी स्थिति में नहीं किया जाना चाहिए और कार्डधारक द्वारा कार्ड को तिरछा काट दिया जाना चाहिए.

- कार्डधारक, कार्ड को आईवीआर या हमारी वेबसाइट

www.sbicard.com पर या PULL एसएमएस के माध्यम से तुरंत ब्लॉक भी कर सकता है.

- अपने खोए/चोरी हुए कार्ड को PULL एसएमएस द्वारा ब्लॉक करने के लिए बस अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से BLOCK XXXX लिख कर 5676791 पर एसएमएस करें. (XXXX = आपके कार्ड नंबर के आखिरी 4 अंक हैं). अगर आपको अपने अनुरोध के 5 मिनट के अंदर कन्फ़र्मेशन नहीं मिलता है, तो कृपया इस कार्ड को ब्लॉक किया गया न मानें. कृपया अपने कार्ड को तुरंत ब्लॉक कराने और किसी भी दुरुपयोग से बचने के लिए हेल्प लाइन को कॉल करें.

  कार्ड खोने या चोरी होने अथवा अनाधिकृत लेन-देन की रिपोर्ट करने के लिए कॉर्पोरेट कार्डधारक इस हेल्पलाइन नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं -18605003000

  कार्ड खोने की सूचना देने के लिए कार्डधारक इस ई-मेल आईडी पर हमसे संपर्क कर सकते हैं - lostcard@sbicard.com

b) कार्डधारक, कार्ड में हुए अनधिकृत ट्रांजेक्शन और/या उसके खोने या चोरी हो जाने की रिपोर्ट करने के लिए उपलब्ध अनेक विकल्पों में से किसी भी विकल्प द्वारा एसबीआईसीपीएसएल को ज़रूर सूचित करे. एसबीआईसीपीएसएल किसी भी अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन-देन के लिए, "ग्राहक सुरक्षा - अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन-देन में ग्राहकों की सीमित देयता" की शर्तों तथा उसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार ही ज़िम्मेदार होगा. एसबीआईसीपीएसएल, कार्ड की हानि की रिपोर्ट करने के समय से पहले कार्ड खाते में किए गए ट्रांजेक्शन के लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा और इसके लिए कार्डधारक ही पूरी तरह उत्तरदायी होंगे जब तक कि ग्राहक को हानि एसबीआईसीपीएसएल की किसी कमी के कारण न हो. एसबीआईसीपीएसएल को हानि की उपयुक्त सूचना प्राप्त

होने के बाद (वेबसाइट, फ़ोन बैंकिंग, एसएमएस, ईमेल, आईवीआर या समर्पित हेल्पलाइन के माध्यम से), कार्डधारक का इसके बाद का दायित्व 1000 रुपए की अधिकतम राशि तक सीमित हो जाता है. एसबीआईसीपीएसएल को कार्ड खो जाने या चोरी हो जाने की सूचना देने के अलावा, कार्डधारक को कॉर्पोरेट कार्ड चोरी होने की सूचना पुलिस को देनी चाहिए और एफआईआर दर्ज करानी चाहिए. हालांकि, अगर कार्ड किसी को मिल जाता है और वह कार्डधारक की सहमति से कार्ड या पिन का दुरुपयोग करता है, तो इस तरह के सभी नुकसान के लिए कार्डधारक उत्तरदायी होगा.

c) अगर कार्डधारक, ने धोखाधड़ीपूर्ण कार्य किया है, तो कार्डधारक, सभी हानियों के लिए दायी होगा. अगर कार्डधारक, सावधानी के बिना कार्य करता है, तो होने वाली सभी हानियों के लिए कार्डधारक ही दायी हो सकता है. यह तब भी लागू हो सकता है, जब कार्डधारक, एसबीआईसीपीएसएल द्वारा बताए गए सुरक्षा-निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है.

d) "ग्राहक की सुरक्षा - अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन में ग्राहकों का सीमित दायित्व" पर रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (आरबीआई) के 06 जुलाई 17 के आदेश के अनुसार अनधिकृत क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन से संबंधित ग्राहक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक नीति बनायी गई है. इसे एसबीआई कार्ड की वेबसाइट पर ”ग्राहक शिकायत निवारण नीति” के तहत अपडेट किया गया है. यह नीति, ग्राहकों के साथ किए जाने वाले व्यवहार की पारदर्शिता और निष्पक्षता के सिद्धांतों पर आधारित है.

e) एसबीआईसीपीएसएल, कार्डधारक या अतिरिक्त कार्डधारक को संदर्भित किए बिना पुलिस या अन्य संबंधित प्राधिकारियों को ऐसी कोई भी जानकारी दे सकता है, जिसे एसबीआईसीपीएसएल, कार्ड की हानि, चोरी या कार्ड या पिन के दुरुपयोग के बारे में उचित समझता है.

f) आपके कॉर्पोरेट कार्ड खाते के संपर्क विवरण में बदलाव की सूचना, सिस्टम में मौजूद आपके नए और साथ ही पहले के संपर्क विवरणों को दी

जाएगी. आपके मौजूदा संपर्क विवरण को हमारे रिकॉर्ड में अपडेट बनाए रखने का सुझाव दिया जाता है.

7. प्रकटीकरण

कार्डधारक यह स्वीकार करता है कि एसबीआईसीपीएसएल, कार्डधारक की रिपोर्ट करने के इरादे के बारे में पर्याप्त नोटिस जारी करने के बाद कार्डधारक की जानकारी, किसी भी मौजूदा या भावी क्रेडिट ब्यूरो के साथ साझा करने के लिए अधिकृत है और ऐसी जानकारी कार्डधारक के सकारात्मक या नकारात्मक प्रदर्शन/डिफ़ॉल्ट होने से संबंधित हो सकती है. क्रेडिट ब्यूरो की रिपोर्ट में ऐसे अपडेट प्रदर्शित होने में 45-60 दिन लग सकते हैं. क्रेडिट इन्फ़ॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड (CIBIL), भारतीय वित्तीय प्रणाली की कार्यात्मकता और स्थिरता को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार और रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) की पहल है. यह बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच जानकारी के आदान-प्रदान की प्रभावी प्रणाली मुहैया कराने के लिए आरबीआई की कोशिशों के संगत है जिससे कार्डधारक, विभिन्न संस्थानों की ओर से मिलने वाले क्रेडिट से जुड़ी बेहतर शर्तों का लाभ उठा सके. कार्डधारक यह भी स्वीकार करता है कि कार्ड खातों के समुचित परिचालन, सत्यापन और दूसरी व्यवस्थापकीय सेवाओं के लिए एसबीआईसीपीएसएल को कार्डधारक द्वारा भुगतान करने में डिफ़ॉल्ट होने सहित कार्डधारक की जानकारी वित्तीय संस्थानों, नियोक्ता और एसबीआईसीपीएसएल से संबद्ध अन्य तृतीय पक्षों के साथ साझा करने का अधिकार है. एसबीआईसीपीएसएल, कार्डधारक की जानकारी एसबीआईसीपीएसएल या उनके समूह की कंपनियों सहायक कंपनियों और संबद्ध पक्षों और/या सहयोगियों के विभिन्न उत्पादों और सेवाओं की मार्केटिंग के उद्देश्यों के लिए एसबीआईसीपीएसएल की पेरेंट, सहायक कंपनियों, संबद्ध पक्षों या सहयोगियों से भी साझा कर सकता है.

एसबीआई कार्ड के सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें www.sbicard.com पर भी उपलब्ध हैं

महत्वपूर्ण विनियामक सूचना:

- कार्ड, भारत तथा विदेश दोनों जगह इस्तेमाल के लिए मान्य है. हालांकि, यह नेपाल तथा भूटान में फॉरेन करेंसी लेन-देन के लिए मान्य नहीं है.
- भारत से बाहर कार्ड का उपयोग आरबीआई के एक्सचेंज मैनेजमेंट रेग्युलेशन और फ़ॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, 1999 सहित लागू कानूनों के अनुसार किया जाना चाहिए. इंटरनेट ट्रेडिंग पोर्टल्स के ज़रिए फॉरेन करेंसी लेन-देन की मंजूरी नहीं है. किसी भी दशा में नियम तोड़ने या ना मानने पर आप पर दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है. आप अपने अधिकृत डीलर (एडी) से फॉरेन करेंसी से जुड़े अपने अधिकारों के बारे में परामर्श कर सकते हैं.
- अगर आपके कॉर्पोरेट कार्ड खाते में कोई क्रेडिट बैलेंस है तो, एसबीआई कार्ड को यह अधिकार है कि वह यह क्रेडिट बैलेंस आपको वापस करे.

कृपया कॉर्पोरेट कार्ड का इस्तेमाल विदेशी निकायों में निवेश या विदेशों में निकायों की स्थापना जैसे पूंजी खाता लेन-देन के लिए न करें क्योंकि यह आरबीआई के मास्टर निर्देश — निवासियों द्वारा विदेशों में संयुक्त उद्यम/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में सीधे निवेश के द्वारा फ़ंडिंग का मान्य तरीका नहीं है.

- आरबीआई के मास्टर सर्कुलर के अनुसार — भारत के नागरिकों की सुविधा के लिए भारत से विभिन्न तरीके के भुगतान पर मास्टर सर्कुलर अवैध चीज़ों की खरीदारी जैसे लॉटरी टिकट, प्रतिबंधित और निषिद्ध मैगजीन, जुए में भागीदारी, कॉल बैक सेवाओं के लिए भुगतान आदि के लिए कॉर्पोरेट कार्ड का इस्तेमाल पूर्णतया वर्जित है क्योंकि इन चीज़ों के लिए फॉरेन करेंसी निकालने की कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई है. कृपया

भारत के नागरिकों की सुविधा के लिए भारत के विभिन्न तरीके के भुगतान की ज्यादा जानकारी के लिए मास्टर सर्कुलर पढ़ें.

- यदि कॉरपोरेट ग्राहक अपने निदेशक मंडल में, या कॉरपोरेट के कार्यों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी किसी पद पर, ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जिसका नाम कॉरपोरेट कार्ड जारीकर्ता के जानबूझकर ऋण ना देने वालों की सूची में दर्ज है, तो कॉरपोरेट कार्ड जारीकर्ता को यह अधिकार होगा कि वह कॉरपोरेट ग्राहक को सूचना देकर इस अनुबंध को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर सकता है.
- यदि कॉरपोरेट ग्राहक के विरुद्ध निधियों के ग़लत उपयोग/हेराफेरी के कोई भी आरोप होते हैं, तो कॉरपोरेट ग्राहक यह सुनिश्चित करेगा कि एसबीआई कार्ड को अपने लेखापरीक्षकों से निधियों के ग़लत उपयोग/हेराफेरी के संबंध में एक विशेष प्रमाणपत्र प्राप्त करने की अनुमति दी जाए, ताकि निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी की जा सके.
- यदि धोखाधड़ी से संबंधित गतिविधियों के संकेत मिलते हैं, तो कॉरपोरेट कार्ड जारीकर्ता को इस संबंध में आंतरिक या बाहरी लेखा-परीक्षण करने का अधिकार प्राप्त होगा.

8. *चार्जेस की सूची

शुल्क	प्लैटिनम	सिग्नेचर	वर्चुअल कार्ड
ज्वाइनिंग शुल्क (एक बार)	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
वार्षिक शुल्क (प्रति वर्ष)	कोई नहीं	499 रु.	कोई नहीं
एक्सटेंडेड क्रेडिट			
ब्याज मुक्त क्रेडिट अवधि	20-50 दिन (केवल खुदरा खरीदारियों पर लागू और अगर पिछले महीने के बकाया बैलेंस का भुगतान पूरी तरह कर दिया गया हो) 15-32 दिन (केवल एसबीआई कॉर्पोरेट यूटिलिटी कार्ड के मामले में लागू)		
फाइनेंस चार्जेस#	लेन-देन की तारीख से 3.35% प्रति माह (40.2% प्रति वर्ष) (यह एक चार्ज कार्ड है और रिवॉल्विंग सुविधा नहीं देता है)		
भुगतान योग्य कुल राशि	कुल बकाया राशि		
कैश एडवांस (यदि लागू हो)			
कैश एडवांस लिमिट (यदि लागू हो)	परिवर्तनीय		
मुफ़्त क्रेडिट अवधि	कोई नहीं		
फाइनेंस चार्जेस#	निकासी की तारीख से 3.35% प्रति माह (40.2% प्रति वर्ष)		
कैश एडवांस शुल्क (यदि लागू हो)			
एसबीआई एटीएम/अन्य स्थानीय एटीएम	निकासी राशि का 2.5% तक या प्रति लेन-देन 500 रुपए (WIH) तक		
अंतर्राष्ट्रीय एटीएम	निकासी राशि का 3% तक या प्रति लेन-देन 500 रुपए (WIH) तक		

अन्य चार्जेस और शुल्क (यदि लागू हो)	
कैश भुगतान शुल्क	100 रुपए
दोबारा विवरण लेने के लिए शुल्क	कोई नहीं
भुगतान डिसऑनर/अनादरण शुल्क	भुगतान राशि का 2% (न्यूनतम 350 रुपए की शर्त पर)
विलंबित भुगतान शुल्क	**0 रुपए से 200 रुपए तक की बकाया राशि के लिए कोई शुल्क नहीं;**
	200 रुपए से अधिक और 500 रुपए तक की बकाया राशि के लिए 100 रुपए;
	500 रुपए से अधिक और 1000 रुपए तक की बकाया राशि के लिए 400 रुपए;
	1000 रुपए से अधिक और 10,00 रुपए तक की बकाया राशि के लिए 500 रुपए;
	10,000 रुपए से अधिक की बकाया राशि के लिए 750 रुपए
ओवरलिमिट	कॉर्पोरेट कार्ड के लिए लागू नहीं
फॉरेन करेंसी लेन-देन	कनवर्ज़न मार्क अप: 3.5% तक
वार्षिक प्राथमिकता पास शुल्क	प्लैटिनम के लिए 180 रुपए तक और सिग्नेचर के लिए मुफ़्त
प्राथमिकता पास लाउंज चार्जेस	प्राथमिकता पास प्रोग्राम के ज़रिए भारत में और भारत के बाहर सभी
	एयरपोर्ट लाउंज विज़िट का शुल्क हर विज़िट के लिए $ 27 होगा और साथ में लागू कर भी लगाए जाएंगे.

	अधिक जानकारी के लिए, कृपया sbicard.com पर जाएं
	प्राथमिकता पास वाले एसबीआई कार्डधारक के साथ एयरपोर्ट लाउंज में जाने वाले सभी मेहमानों से प्रति विज़िट $27 का उपयोग शुल्क लागू करों के साथ चार्ज किया जाएगा.
वार्षिक रिवॉर्ड शुल्क	रु. 300 तक + लागू कर
रिवॉर्ड रिडेम्पशन शुल्क	रु.99 + लागू कर
सरचार्ज	
रेलवे टिकट - रेलवे काउंटर	30 रुपए + लेन-देन राशि का 2.5%
रेलवे टिकट www.irctc.co.in	लेनदेन राशि का 1.8% + लागू सेवा शुल्क
पेट्रोल पंप पर बेचे जाने वाले पेट्रोल और सभी उत्पाद/सेवाएं	लेनदेन मूल्य का 1%. फ्यूल सरचार्ज मर्चेंट को टर्मिनल प्रदान करने वाले अधिग्रहणकर्ता बैंक द्वारा लिया जाता है। चार्जस्लिप पर मौजूद लेन-देन राशि क्रेडिट कार्ड विवरण से भिन्न होगी क्योंकि लेन-देन राशि पर अधिग्रहणकर्ता बैंक द्वारा सरचार्ज एवं जीएसटी लगाया जाता है। रु. 500 से रु. 4000 के बीच के एकल लेनदेन पर सिग्नेचर और प्लैटिनम कार्डों के लिए 1% फ्यूल सरचार्ज माफ (जीएसटी को छोड़कर) किया जाएगा। फ्यूल सरचार्ज छूट की नियम एवं शर्तें भिन्न हो सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए उत्पाद की

	नियम एवं शर्तें देखें। सिग्नेचर और प्लेटिनम कार्ड्स के लिए अधिकतम सरचार्ज छूट 250 रुपए प्रति विवरण साइकल प्रति कॉर्पोरेट कार्ड खाता.
कस्टम ड्यूटी का भुगतान	लेन-देन राशि का 2.25% (न्यूनतम राशि 75 रुपए की शर्त पर) 75 रुपए
सभी किराया भुगतान लेनदेन पर प्रोसेसिंग शुल्क**	रु. 199 + लागू कर
भुगतान का क्रम	कुल बकाया राशि (जिसमें सभी लागू कर शामिल होंगे), इसके बाद शुल्क और दूसरे चार्जेस, ब्याज के चार्जेस, खुदरा बकाया और कैश एडवांस.

*चार्जेस की सूची में किए जाने वाले परिवर्तनों की सूचना ईमेल द्वारा दी जाएगी और यह हमारी वेबसाइट www.sbicard.com पर उपलब्ध होगी.

**किसी भी मर्चेंट के माध्यम से किराए के भुगतान के सभी लेन-देन पर प्रसंस्करण शुल्क के रूप में ₹199 + लागू कर लिया जाएगा. मर्चेंट श्रेणी कोड (एमसीसी) 6513 के अंतर्गत आने वाले सभी लेन-देन को किराये के भुगतान का लेन-देन माना जाएगा।

कार्ड फाइनेंस चार्ज परिवर्तनशील हैं और ये कार्डधारक के उपयोग और भुगतान के पैटर्न पर आधारित होंगे और इसमें समय-समय पर परिवर्तन होता रहेगा.

ऊपर दिए गए सभी शुल्क, ब्याज और चार्जेस पर सभी कर, जैसे लागू हों चार्ज किए जाएंगे.

“लागू कर” (1 जुलाई 2017 या उसके बाद जारी की गई विवरण पर) जिसका मतलब:

- वे कार्डधारक जिनका एसबीआई कार्ड के रिकॉर्ड में विवरण की तारीख पर निवास स्थान "हरियाणा" है – केंद्रीय कर @9% औऱ राज्य कर @9% की दर से.
- उन कार्डधारकों के लिए जिनकी निवास स्थिति एसबीआई कार्ड के रिकॉर्ड में विवरण की तारीख पर "हरियाणा" को छोड़कर कुछ और है – समेकित कर @18% लगाया जाएगा

कार्ड में आपके लगातार उपयोग को इन संशोधनों की स्वीकृति माना जाएगा.

एसबीआई कार्ड हेल्पलाइन

39 02 02 02 (शुरू में स्थानीय एसटीडी कोड लगाएं), 1860
180 1290

इस दस्तावेज के सभी नियम व शर्तें (चार्जेस की सूची सहित) सभी कॉर्पोरेट पर लागू मानक शर्तें व चार्जेस हैं. इनमें किए जाने वाले बदलावों पर एक अलग परिशिष्ट द्वारा एसबीआईसीपीएसएल और संबंधित कॉर्पोरेट के बीच आपसी सहमति होगी या वे कॉर्पोरेट के साथ हस्ताक्षरित कॉर्पोरेट कार्ड अनुबंध का भाग होंगे.

इस संचार में दी गई सभी जानकारी मार्च 2026 के अनुसार सही है और एसबीआईसीपीएसएल द्वारा अपने निर्णय से इसमें परिवर्तन किया जा सकता है. एसबीआई कार्ड के सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें www.sbicard.com पर भी उपलब्ध हैं.

एसबीआई कार्ड एंड भुगतान सर्विसेस

लि.पी.ओ. बैग सं. 28, नई दिल्ली- 110 001

कृपया हमारी वेबसाइटwww.sbicard.com पर विजिट करें.

Individual Liability SI07052025